इंदौर क्षेत्र में जुलाई से चलेंगी बसें

मप्र यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में सीएम के सामने दिया प्रेजेंटेशन

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 जून. पीएम ई-बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना में बसों का संचालन सर्वप्रथम इंदौर क्षेत्र से प्रारंभ किया जाएगा. इंदौर क्षेत्र के तहत, इंदौर संभाग के समस्त जिले तथा इंदौर स्थित अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड अब संपूर्ण इंदौर संभाग से प्रारंभ होने वाली बसों के कार्यक्षेत्र में कार्य करेंगी.

150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी अगले माह से

यह जानकारी सोमवार को मंत्रालय में मप्र यात्री परिवहन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने प्रेजेंटेशन के दौरान परिवहन विभाग मनीष सिंह ने दी. इस दौरान उन्होंने बताया कि इंदौर क्षेत्र से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत तीन श्रेणी की बसों का संचालन जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा. पहले में इंदौर से मप्र के अन्य जिलों को जोड़ने वाली इंटरसिटी मार्गों पर बसों का संचालन होगा. वहीं दूसरी श्रेणी में इंदौर शहर में सिटी बसों का संचालन तथा इसी श्रेणी में उपनगरीय क्षेत्रों तक अधिसूचित मार्गों पर भी बसों का संचालन किया जाएगा. इसी तरह तीसरी श्रेणी में इंदौर संभाग के समीपवर्ती राज्यों महाराष्ट्र गुजरात, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश जाने वाले अंतर्राज्यीय मार्गों पर अनुबंध अनुसार बसों का संचालन होगा. इसके साथ-साथ यह भी बताया गया कि पीएम ई-बस सेवा की 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी इंदौर शहर में जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अवगत कराया गया कि 7 क्षेत्रीय मुख्यालयों के 7 शहर से, प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों तक जाने वाले कुल 620 मार्गों को चिन्हित किया गया है. इनमें कुल 2432 बसें संचालित होंगी. इसके तहत इन्दौर क्षेत्र से प्रदेश के अन्य जिलों में कुल 121 मार्ग चिन्हित किये गये हैं, जिनमें 608 बसें संचालित की जायेंगी.

मध्यप्रदेश सात क्षेत्रों में बंटेगा

संपूर्ण मप्र को 7 क्षेत्रों में, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर एवं रीवा विभक्त करते हुए इन शहरों में पूर्व से क्रियाशील शहरी परिवहन के लिये कंपनियों के संबंध में जानकारी दी गई. सात क्षेत्रीय मुख्यालय में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत सिटी बसों का संचालन भी किया जायेगा. यह बसें आमजन की सुविधा हेतु शहर से आगे महत्वपूर्ण उप नगरीय क्षेत्रों तक भी जा सकेंगी. इस श्रेणी के सिटी रूट के तहत इंदौर में शहर के अंदर एवं उप नगरीय क्षेत्रों तक कुल 28 मार्ग चिन्हित किये गये हैं. इनमें आमजन की सुविधा हेतु 784 बसें (पीएम ई-बस सेवा की 150 बसों को मिलाकर) संचालित की जायेंगी. इसी प्रकार यह भी बताया गया कि इंदौर क्षेत्र से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के लिये जाने वाली बसों के मार्ग अनुबंध अनुसार कुल 101 हैं. इसमें कुल 276 अंतर्राज्यीय बसों का संचालन अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के द्वारा किया जायेगा. इसी प्रकार इंदौर से प्रारंभ होने वाली इंटरसिटी सिटी बसें एवं अंतर्राज्यीय, कुल मार्गों की संख्या क्रमश:250 हैं. इनमें कुल 1688 बसों का संचालन किया जाना प्रस्तावित हैं.

1340 पदों को मिली मंजूरी

राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के अधीन 7 क्षेत्रीय सहायक कंपनियों में कुल 150 पदों की स्वीकृति दी गई है. सभी सहायक कंपनियां एक कार्यकारी संचालक के अधीन होंगी. सहायक क्षेत्रीय कंपनियों के अधीन संचालित होने वाली बसों की सुरक्षा एवं सुविधा और प्रवर्तन अमले के लिये भी पद स्वीकृत किए गए हैं. इसमें पुलिस एवं विशेष सशस्त्र बल से अधिकारी-कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर अथवा हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी-कर्मचारियों को संविदा पर लिया जा सकेगा. संचालित होने वाली बसों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये गुणवत्ता विभाग के अधीन भी पदों की स्वीकृति की गई है. राज्य परिवहन उपक्रम के तहत संचालित होने वाली इन बसों की आवाजाही प्रदेश के सभी आईएसबीटी एवं बस स्टेण्ड तक हो सकेगी. इस प्रकार एक राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी एवं 7 सहायक क्षेत्रीय कंपनियों में कुल 1190 पद विभिन्न विभागों में सृजित करने की स्वीकृति संचालक मंडल द्वारा प्रदान की गई है. इसमें चरणबद्ध तरीके से आगामी 4 वर्षों तक पदों को भरा जायेगा.

फायरिंग, चाकूबाजी के आरोपी गिरफ्तार

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 1 जून. कोहेफिजा थाना पुलिस ने फायरिंग और चाकूबाजी की वारदात करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. मामले में फरार चले रहे अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है.

आरोपियों के पास से पुलिस ने मौके पर मिले हथियारों को जब्त कर लिया है. आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने यह वारदात की. जानकारी के मुताबिक संजय उर्फ सन्नी नरवरिया (22) निवासी बाजपेयी नगर मल्टी ने शिकायत दर्ज कराई. संजय ने

पुलिस ने जब्त किए हथियार

पुलिस को बताया कि वह एक युवक गुफरान के साथ मिलकर केटरिंग का काम करता है. गुफरान के दोस्त साहिल का बरेलागांव में रहने वाले रहमान उर्फ गोलू से एक युवती को लेकर पुराना विवाद चल रहा है. बरेलागांव में दोनों पक्षों का आमना-सामना हुआ और उनके बीच विवाद होना शुरू हो गया. इस मौके पर आरोपी कैफ ने अपने पास रखी पिस्टल से दो राउंड फायरिंग कर दी. दोनों पक्षों की तरफ से इसके बाद चाकूबाजी और मारपीट हो गई. मामले की शिकायत पर मौके पर पहुंची कोहेफिजा पुलिस ने आरोपी कैफ, साहिल और आरिश को गिरफ्तार कर लिया है.

सिंहस्थ पर जिले का सौ फीसदी पात्र पुलिस बल होगा प्रशिक्षित

पुलिस कमिश्नरेट की तैयारियां शुरू

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 1 जून. उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन को देखते हुए प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने तैयारियां शुरू कर दी है. इसी क्रम में विशेष प्रशिक्षण का शुभारंभ सोमवार को सामुदायिक भवन पुलिस लाइन में रिटायर्ड आईजी मनोज शर्मा एवं एडिशनल कमिश्नर मोनिका शुक्ला ने द्वीप प्रज्वलित कर किया.

प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य प्रशिक्षक (रिटायर्ड आईजी) मनोज शर्मा ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण का गंभीरता से लाभ लेकर उसे मैदानी कार्य में प्रभावी रूप से लागू करने की अपील की. एडिशनल कमिश्नर मोनिका शुक्ला ने बताया कि जिले के शत-प्रतिशत पात्र पुलिस बल को चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा.

पश्चिम मध्य रेल

वरि.मंडल सामग्री प्रबंधक कार्यालय, भोपाल

वरि.मंडल सामग्री प्रबंधक, भोपाल भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-खरीद प्रणाली के जरिये निम्न लिखित विज्ञापन निविदा आमंत्रित करते है। कोई भी व्यक्तिगत/डाक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाऐगे। पूर्ण विवरण/विनिर्देशन के लिए **www.ireps.gov.in** पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।, **निविदा सं.:** 98265485, **संक्षिप्त विवरण:** IOT बेस्ड वाटर लेवल इंडिकेटर इन कोचेस विथ अंडर स्लुंग वाटर टैंक, **Tender Qty:** 150 set एवं IOT बेस्ड वाटर लेवल इंडिकेटर इन कोचेस विथ ओवरहेड टैंक्स, **Tender Qty:** 150 set, **Opening Date:** 19-June-2026, EMD **Value (In Rs.):** Rs.251000/-.

(हस्ता)

वरि.मंण्डल सामग्री प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल प्रक्षेत्र-2, अयोध्या नगर भोपाल

आम सूचना

कटारा हिल्स हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भूखण्ड/भवन क्रमांक एल.आई.जी.-1 539 मण्डल द्वारा श्रीमती सखी गुप्ता पत्नी श्री पुरुषोत्तम गुप्ता द्वारा मुख्तारनामा श्री पुरुषोत्तम गुप्ता आत्मज स्व. श्री राम सहाय जी के नाम पर आवंटित किया गया है. जिसका विक्रय विलेख दिनांक 16/03/2009 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है. क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, परिचय पत्र, शपथ-पत्र, संयुक्त शपथ-पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्री प्रदीप सिंह आत्मज श्री भीम सिंह के नाम पर हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है एवं उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 09/10/2024 को क्रेता के पक्ष में दस्तावेज पंजीकृत किया गया है. प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति श्री प्रदीप सिंह आत्मज श्री भीम सिंह के नाम पर हस्तान्तरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है.

उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा.

संपदा अधिकारी

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल प्रक्षेत्र-2, भोपाल

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का किया गया आयोजन

भोपाल, 1 जून. शासकीय मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय (सेन्ट्रल लाइब्रेरी) में हाल ही में एक दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया.

कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय ग्रंथपाल रत्ना वाधवानी द्वारा किया गया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विज्ञान केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का आधार है.

सेंट्रल लाइब्रेरी में एक दिवसीय आयोजन

उन्होंने छात्रों को खोज, नवाचार और भविष्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित किया. विज्ञान की जटिल अवधारणाएं हुईं सरल कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ दीपक सोनी ने विज्ञान के अनेक जटिल सिद्धांतों को सरल और रोचक मॉडलों के माध्यम से समझाया. उन्होंने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा की कलाओं और केप्लर के गति के नियमों का प्रदर्शन किया. 'जादू नहीं, विज्ञान है' सत्र के माध्यम से उन्होंने छात्रों को अंधविश्वास के पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराया. पर्यावरण और खगोल विज्ञान पर केन्द्रित रही गतिविधियां मध्यप्रदेश विज्ञान सभा के विशेषज्ञ आशीष बारे ने पर्यावरण जागरुकता और विज्ञान से संबंधित विविध रोचक गतिविधियां करवाई. मनीष मुनतवार ने एरो मॉडलिंग के गुर सिखाए और छात्रों द्वारा तैयार किए गए मॉडल विमानों को मैदान में उड़ाकर दिखाया. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 'स्काई वाच' रहा, जहां मुकेश सतनकर ने टेलीस्कोप के माध्यम से छात्रों को आकाश दर्शन कराया. छात्रों ने चंद्रमा के गड्ढे, शुक्र ग्रह की कलाएं और बृहस्पति के चंद्रमाओं को अपनी आंखों से देखा. समापन सत्र के दौरान आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया.

चोर गिरोह के दो और सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े

87 लाख के जेवर और आई-20 कार जब्त

विशेष संवाददाता

भोपाल, 1 जून. संगठित संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्वालियर जिले की इंदरगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.

पुलिस ने सूने मकान में सोने-चांदी के आभूषण चोरी करने वाले गिरोह के दो और सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से लगभग 87 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति बरामद की गई है, जिसमें 200 ग्राम सोना, 50 ग्राम सोने की चूड़ियां, 12.5 किलोग्राम चांदी तथा एक आई-20 कार शामिल है. मध्यप्रदेश

पुलिस द्वारा प्रदेशभर में संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने और संगठित चोरी करने वाले गिरोहों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है.इससे पहले पुलिस एक विधि-विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लेकर गिरोह के कथित सरगना तथा चोरी का माल खरीदने वाले एक सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार कर चुकी है. इस प्रकरण में अब तक 94 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति बरामद की जा चुकी है.

मामले की शुरुआत 5 मई को हुई थी, जब इंदरगंज क्षेत्र के एक निवासी ने अपने सूने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण चोरी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देशन में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र और सतत निगरानी के आधार पर आरोपियों का पता लगाया. जांच के दौरान पुलिस ने पनिहार टोल प्लाजा के आगे जंगल क्षेत्र में जमीन में छिपाकर रखे गए चोरी के अतिरिक्त सामान भी बरामद किए.

नाम परिवर्तन

मैं दीपक अहिराव पिता लक्ष्मण अहिराव भोपाल में निवासरत हूँ. पासपोर्ट में मेरा नाम दीपक लक्ष्मण अहिराव दर्ज था जबकि मेरा सही नाम दीपक अहिराव है और यही नाम आधार कार्ड और पेन कार्ड में दर्ज है. अब मुझे दीपक अहिराव नाम से जाना जाये.

खाद की उपलब्धता की निगरानी करेगी मंत्रियों की कमेटी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 1 जून. देश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा आगामी खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मंत्रि-परिषद के सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है.

राज्य के किसानों को इस कारण से होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये यह समिति उर्वरकों की उपलब्धता, उनके मूल्य नियंत्रण और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सुचारू संचालन के संबंध में विचार-विमर्श कर राज्य सरकार को सुझाव देगी.

उच्च स्तरीय समिति में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना और सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग शामिल हैं. कृषि उत्पादन आयुक्त को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है.

जून के प्रथम कार्य दिवस पर पुलिस मुख्यालय में राष्ट्रगान

विशेष संवाददाता

भोपाल ,1 जून. पुलिस मुख्यालय में जून माह के प्रथम कार्य दिवस सोमवार को राष्ट्रगान जन गण मन एवं राष्ट्रगीत वंदेमातरम् का सामूहिक गायन किया गया.

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और कर्तव्यनिष्ठा की भावना का प्रदर्शन हुआ. इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कैलाश

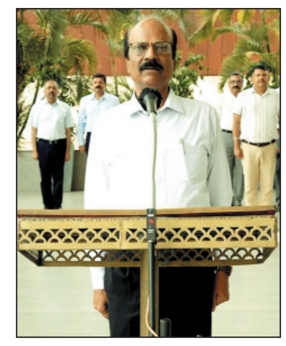

मकवाणा, विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव तथा विशेष पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार उपस्थित रहे.

संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

सत्यमेव जयते

रुचि की अभिव्यक्ति (EoI)

सामग्री विकास विशेषज्ञों की नियुक्ति

भारत संग्रहालय (YYBM) - नई दिल्ली

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित युगे युगीन भारत संग्रहालय (YYBM) के लिए सामग्री विकास विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य पेशेवरों से रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) आमंत्रित की है। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है।

पद

- कंटेंट डायरेक्टर (01)
- एसोसिएट कंटेंट डायरेक्टर (02)
- कंटेंट रिसर्चर (07)
- युवा संग्रहालय पेशेवर (05)

विस्तृत सूचना प्रस्ताव (EoI), पात्रता मानदंड, आवेदन प्रारूप और अन्य नियम एवं शर्तें संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट www.culture.gov.in पर उपलब्ध हैं।

आवेदन कैसे करें

इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन और सहायक दस्तावेजों को निम्नलिखित पते पर जमा कर सकते हैं:

ईमेल: yybm-culture@gov.in

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 19 जून 2026 (शुक्रवार), दोपहर 3:00 बजे

संस्कृति मंत्रालय बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

CBC 09101 / 11 / 0013 / 2627

सफलता | ऑटोमेशन सिस्टम से फूलों की खेती करने वाले भोपाल के पहले किसान बने रामसिंह कुशवाह

पारंपरिक खेती से आधुनिक बागवानी तक का सफल सफर

भोपाल, 1 जून. जिले के फंदा विकासखंड के ग्राम बरखेड़ा बोंदर निवासी किसान रामसिंह कुशवाह की सफलता की कहानी यह सिद्ध करती है कि आधुनिक तकनीक, नवाचार और शासकीय योजनाओं का समुचित लाभ लेकर खेती को लाभकारी व्यवसाय में परिवर्तित किया जा सकता है.

कभी धान, गेहूं और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों की खेती कर सीमित आय अर्जित करने वाले कुशवाह आज फूलों एवं फलों की आधुनिक बागवानी के माध्यम से प्रतिमाह लाखों रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं. बरखेड़ा बोंदर निवासी किसान रामसिंह कुशवाह बताते हैं कि वर्षों तक पारंपरिक खेती करने के बावजूद

बढ़ती लागत और सीमित लाभ के कारण आर्थिक चुनौतियां बनी रहती थीं.

इसी दौरान उन्हें उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन की जानकारी प्राप्त हुई. योजना से प्रेरित होकर उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पॉलीहाउस स्थापित कर गुलाब एवं जरबेरा जैसे उच्च मूल्य के फूलों की खेती प्रारंभ की. उन्होंने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत शासन की सहायता से एक एकड़ क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापित कर लगभग 30 हजार गुलाब, जरबेरा एवं गेंदा के पौधों का रोपण किया. आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने से उन्हें अपेक्षाकृत बेहतर उत्पादन प्राप्त होने लगा. वर्तमान में वे प्रतिदिन लगभग 4 हजार कट फ्लावर का विक्रय कर 4 से 6 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर रहे हैं. फूलों के उत्पादन को और अधिक बढ़ाने तथा लागत को कम करने के उद्देश्य से कुशवाह ने इस वर्ष अपने पॉलीहाउस में सेंसर आधारित ऑटोमेशन सिस्टम स्थापित किया है. लगभग 4 लाख रुपये लागत वाली इस प्रणाली पर उन्हें शासन से 2 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ.

ऑटोमेशन आधारित बागवानी तकनीक अपनाकर रामसिंह कुशवाह जिले के पहले किसान बन गए हैं, जिन्होंने पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर पूर्णतः स्वचालित प्रणाली के माध्यम से फूलों का उत्पादन प्रारंभ किया है. उनके द्वारा उत्पादित गुलाब एवं जरबेरा की आपूर्ति भोपाल सहित दिल्ली, जयपुर और लखनऊ जैसे बड़े बाजारों में की जा रही है. रामसिंह ने अपनी खेती में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली भी अपनाई है, जिस पर उन्हें 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ. फूलों एवं फलों की आधुनिक खेती ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया है, बल्कि उन्हें जिले के प्रगतिशील किसानों में भी पहचान दिलाई है.

CENTRUM Home Loans — Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट एवं रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नं. 801, सेन्ट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई- 400098, CIN No. U65922MH2016PLC273826

कब्ज़ा नोटिस

(सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8 (2) के साथ पढ़े गए परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया जाता है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उस पर संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि की राशि के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स.क्र.	ऋण खाता संख्या / ऋणी/ सह-ऋणी का नाम	सुरक्षित संपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तारीख
1.	BHOBH17000947 / काजल वर्मा / भागीरथ वर्मा	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और हिस्से में प्लॉट/मकान/बहुमंजिला इमारत संख्या JR MIG-201/2, क्षेत्रफल 36.65 वर्ग मीटर, सेक्टर-ए, प्रथम मंजिल, वार्ड संख्या 12, इंदिरा नगर, मंडीदीप, जिला रायसेन- 462046, मध्य प्रदेश. सीमाएं :- पूर्व : कॉलोनी रोड, पश्चिम : फ्लैट संख्या 249/2, उत्तर : फ्लैट संख्या 202/2 दक्षिण : फ्लैट संख्या 200/2.	30-जुलाई-25 रुपये 9,74,271/- (रु. नौ लाख चौहत्तर हजार दो सौ इकहत्तर मात्र)	27-05-2026
2.	BHOVD22008013 / कृष्णपाल सिंह जुडॉन / महेंद्र सिंह / अनूप बाई	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और हिस्से में खसरा क्रमांक 100/1/1, 100/1/2, 100/2/2, 100/2/1/2 adm. 600 वर्ग फुट, प्लॉट संख्या 25, संस्कार विहार कॉलोनी, वार्ड संख्या 12, ताजपुर महल रायसेन, तहसील एवं जिला-रायसेन- 464551, मध्य प्रदेश. सीमाएँ :- पूर्व : सीमा दीवार, पश्चिम : 7.5 मीटर कॉलोनी रोड, उत्तर : प्लॉट संख्या 24 पर बना मकान, दक्षिण : प्लॉट संख्या 26 पर बना मकान	30-अगस्त-2025 रुपये 9,62,174- (रु. नौ लाख बांसठ हजार एक सौ चौहत्तर मात्र)	27-05-2026

दिनांक : 2-6-2026
स्थान : मध्यप्रदेश

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
सेन्ट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड